प्रकाशित पत्रों) आदि अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। मुझ पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/4/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पत्रावली पेश। अधि. अपीलान्ट हाजिर। पंजी पर वाद अधि. अपीलान्ट सुनी गई। अपील अपीलान्ट को स्वीकार किया जाता है। निर्णय आज लिखा जाकर पत्रावली फैसल कुमार होकर नथ से अलग। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे दस्तखत से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

पत्रावली अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आवेदन कर आराजी में सुधार करने हेतु पेश करने पर पत्रावली पंजी में ली गई। आवेदन के तथ्यों का अवलोकन किया गया। आवेदन के तथ्य सारगर्भित होने पर आवेदन को स्वीकार किया जाता है। अधि. अपीलान्ट के दिनांक 25/3/2025 को वाद सुनी जाकर प्रकरण में आज तक पंजी पास आदेश दिनांक 7/4/2025 नियत की गई थी तथा आदेश दिनांक 7/4/2025 को सुनाया गया था परन्तु निर्णय आदेश में सहवश दिनांक 25/03/2025 अंकित कर दी गई थी। अतः निर्णय दिनांक 25/03/25 के स्थान पर दिनांक 7/4/2025 पढ़ा जावे तथा लाल स्याही से निर्णय दिनांक 25/03/25 के स्थान पर दिनांक 7/4/2025 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)